उप मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक डायलिसिस इकाई का किया उद्घाटन

चन्द्रशेखर के बगैर भारतीय राजनीति पूर्ण नही –बृजेश पाठक

(आंचलिक स्वर)

बलिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गुरूवार को इब्राहिमपट्टी में जननायक चंद्रशेखर हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टिट्यूट में अत्याधुनिक डायलिसिस इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में भी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

उप मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी के बगैर भारतीय राजनीति को पूर्ण नहीं माना जा सकता। चंद्रशेखर और बलिया एक दूसरे के पर्याय थे। पूरे भारत वर्ष में बलिया को स्थापित करने का कार्य किया। 1980 के दशक में उन्होंने कल्पना की थी कि बलिया के हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और उसी सोच के क्रम में उन्होंने जिला मुख्यालय से सुदूर अपने गांव में इस अस्पताल का निर्माण करवाया था। इस अस्पताल के आधारशिला में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम भी जुड़ा हुआ है।

उन्होने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पूरे प्रदेश के मुख्य सचिव होते हुए बलिया के इस अस्पताल को बेहतर स्वरूप में देखने की चिंता की। अस्पताल संचालक का जिम्मेदारी उठाने वाले डॉक्टर संजय सिंह से कहा कि बलिया के ऐतिहासिक धरती के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। हर गरीब, किसान और बहन–बेटियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। सरकार ने जनता के लिए सारी व्यवस्था दी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहनों को तीन या चार बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि सरकारी के अलावा प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी निःशुल्क अल्ट्रासाउंड होगा। नवजात शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिले पर व्यवस्था है। इसके अलावा हर सीएचसी, पीएचसी तथा सब–सेंटर पर टीकाकरण सहित जच्चा–बच्चा की की सभी सुविधाएं हैं।

कार्यक्रम को पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी सपना था कि हम अपने गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। उन्होंने अस्पताल को संचालित करने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया, डा. सुषमा शेखर, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार, एसपी विक्रांत वीर आदि मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री ने दिये स्वस्थ रहने के टिप्स

(आंचलिक स्वर)

बलिया । उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बीमार पड़े ही ना। इसके लिए किसी भी ऐसे पेय पदार्थ को नहीं लेना है या ऐसा कुछ नहीं खाना है, जिसका नुकसान हमारे शरीर पर पड़े। लगभग 40–50 मिनट योग–व्यायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आवश्यकता से अधिक भोजन न लें और पर्याप्त पानी पीये। लोगों से यह भी आवाह्न किया कि अपने दांतों को सुरक्षित रखने पर भी विशेष ध्यान दें।

दो अभियुक्तों को सात साल की कैद

(आंचलिक स्वर)

बलिया। पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या का प्रयास के मामले में फेफना पर पंजीकृत मुकदमे में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी–3 अभियुक्त अशोक कुमार सिंह व अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 पारसनाथ सिंह निवासीगण पियरिया को सात साल का सश्रम कारावास व तेरह हजार रूपये केअर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

गुम हुआ मोबाइल पुलिस के प्रयास से पहुंचा अपने स्वामिनी के पास

(आंचलिक स्वर)

बलिया। मनियर थाने की पुलिस गुम हुए मोबाईल फोन बरामद कर मोबाइल स्वामिनी को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की इस प्रशंसनीय कार्य से गुम हुए मोबाइस को पाकर मोबाइल स्वामिनी से पुलिस टीम प्रशंसा की है।

उल्लेखनीय मोबाइल स्वामिनी का मोबाइल ग्राम भागीपुर बाजार के रास्ते मे कही गिर गया था। जिसपर उसने मोबाइल की गुमशुदगी की पोर्टल पर दर्ज कराया गया था । पुलिस ने गुमशुदा मोबाईल को बरामद कर मोबाईल स्वामिनी को से सुपुर्द कर दिया।

ठगी के शिकार पीड़ित को पुलिस ने वापस कराया 2.59 लाख

यूपीआई से खाते स्थानान्तरित हुआ था 2.59 लाख

(आंचलिक स्वर)

हल्दी (बलिया)। साइबर ठगी करने वाले ने स्थानीय थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के खाते से यूपीआई के द्वारा 2.59 लाख रूपये स्थानान्तरित कर लिया। शिकायत पर साइबर क्राइम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक माह के अन्दर पीड़ित के खाते में सम्पूर्ण धनराशि 2.59 लाख रूपये वापस करा दिया।

स्थानीय थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी शिवजी पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद के खाते से साइबर ठग ने यूपीआई द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में कुल 2.59 लाख रूपये खाता से स्थानान्तरित कर लिया गया। जब इसकी जानकारी पीड़ित को हुई तो उसके होश उड़ गये और उसने घटना की शिकायत साइबर क्राइम के कार्यालय में की। साइबर ठगी के शिकार शिवजी ने 18.11.2024 को थाना साइबर क्राइम कार्यालय आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उसने बताया उसके यूपीआई से भिन्न–भिन्न तिथियों में दो लाख उन्सठ हजार रूपये अज्ञात व्यक्ति के खाते में स्थानान्तरण किया गया है । इस तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–16/2024 धारा–66(डी) आई.टी. एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक व नोडल साइबर क्राइम के निर्देश पर थाना साइबर क्राइम ने तत्काल शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। जिसके फलस्वरूप 12 दिसम्बर 2024 को शिकायतकर्ता शिवजी के खाते में अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्थानान्तरित सम्पूर्ण धनराशि दो लाख उन्सठ हजार रूपये को वापस कराया गया है ।

जमीन बेचने के नाम पर ले लिया दस लाख, अब हो गया गायब

(आंचलिक स्वर)

सुखपुरा (बलिया)। जमीन बेचने के नाम पर दस लाख रुपये लेने के तीन सल बाद भी जमीन नही देने को लेकर स्थनीय थाने की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दिया है।

स्थानीय थाना क्षेत्र के शेरवां कला निवासी उमेश पटेल पुत्र नन्द जी प्रसाद प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2021 से देवकली पचायत भवन के पास मे मकान बना कर रह हूं। प्रेम प्रकाश शर्मा ने हमे प्लाट दिया था। मेरे मकान के बगल मे प्रेम प्रकाश शर्मा का एक प्लाट बचा हैं। वह वन विहार रोड मकान बनवा रहा है। पैसे की जरूत बताकर उसने मुझसे दस लाख लिया और उसके बदले मेरे घर के बगल कीं जमीन देने की बात कही। लेकिन आज तक उसने न तो जमीन दिया और ना ही पैसा दिया। प्रार्थना पत्र में उमेश ने बताया कि प्रेम प्रकाश ने घर बनाने के लिये चार लाख साठ हजार रुपये का लकडी लिया और उसका भी पैसा अभी तक नही दिया और मोबाईल बन्द करके कही चला गया है। उसके घर पर जानें पर उसके पट्ीदार उल्टा सीधा बोलते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जांच शुरू कर दिया है।

अतिक्रमण के विरुद्ध बुल्डोजर की कार्रवाई में नव व्यापारियों पर लगा अर्थदण्ड

(आंचलिक स्वर)

बलिया। जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरूवार को मालगोदाम चौराहे से एलआईसी तक अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाया। इस दौरान नाली के बाहर अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण पर नगरपालिका परिषद का बुल्डोजर चला। इस दौरान नव अतिक्रमणरियों से अर्थदण्ड के रूप में अठारह हजार पांच सौ रूपये वसूले गये।

टीम ने मालगोदम तिराहा से एल आई सी रोड तक सड़क के दोनों तरफ पटरी पर किये गये अस्थाई अवैध अतिक्रमण को अर्थदण्ड लगाते हुए हटवाया गया। पटरी पर खड़े वाहनों का चालान पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया तथा हटवाया गया। पटरी पर लगे ठेला या खोमचा को

हटवाया गया और अपने निजी भूमि पर ही दुकान लगाने की चेतावनी दी गयी। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों से अपने दुकान के सामने 'नो पार्किंग जोन' का नोटिस लगाने और वाहनों को सड़क से कम से कम दो मीटर छोड़कर ही पार्किंग करने को कहा गया।

अभियान में डिप्टी कलेक्टर अभिनेंद्र , अवर अभियन्ता न0पाप0 शशि प्रकाश, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अहमद नदीम, लिपिक अभिनव कुमार, भारत भूषण, अनिल राम, राहुल मिश्र, संतोष पांडे आदि थे।

आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर नाबालिग को ब्लैकमेल करने का आरोप

पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज

(आंचलिक स्वर)

सुखपुरा (बलिया)। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पिता के नाम से फर्जी आइ०डी० बनाकर आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर करने और नाबालिक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

गाजीपुर जिले के एक व्यक्ति ने शिकायत प्रकोष्ठ में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें कहा है कि मेरी नाबालिग लड़की सुखपुरा में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ती था। सुखपुरा का रहने वाला मिथिलेश मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर करीब एक साल पूर्व भगाकर लेकर चला गया था। सुखपुरा थाने की पुलिस मेरी लडकी को बरामद कर मुझे सुपुर्द कर दिया गया लेकिन मिथिलेश के विरुध्द कोई कार्यवाही नही हुई । विगत कई दिनो वह मेरी पुत्री को ब्लैकमेल करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से फर्जी आइ०डी० बनाकर आपत्तिजनक फोटो भेज रहा है और अपलोड कर रहा है। पिता के प्रार्थना पत्र पर सुखपुरा थाने की पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया है।

रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया अभियान, किया जागरूक

(आंचलिक स्वर)

बलिया। पुलिस ने गुरूवार को रेलवे स्टेशन 'बाल श्रम उन्मूलन, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी व नशा मुक्ति' जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान टोल फ्री नं0 1090, 112, 181, 1076, 1098, 102, 108 एवं साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 के बारे यात्रियों व अन्य लोगों को विस्तार से जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में बाल श्रम उन्मूलन, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी व नशा मुक्ति जनजागरुकता

अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण एवं नोडल अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर के थाना के उप निरी. अजीत कुमार दूबे, का0 ऋषभ मिश्र व म0का0 रेनू यादव एवं जीआरपी थानाध्यक्ष विवेकानंद यादव ने फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन बलिया पर सघन चेकिंग किया। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी एवं पूछताछ किया गया। रेलवे स्टेशन के आस पास के लोगों को मानव तस्करी, बाल श्रम उन्मूलन, बाल भिक्षावृति, बाल विवाह, अनैतिक देह व्यापार व नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक करते हुए टोल फ्री नं0 1090, 112, 181, 1076, 1098, 102, 108 एवं साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 के बारे में जागरूक किया गया ।

मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच को दस साल की सजा

(आंचलिक स्वर)

बलिया। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट, गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी–3 ने दोषी करार देते हुए पांचअभियुक्तो को दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक्कीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना फेफना पर पंजीकृत मुकदमें मे प्रकरण में आरोपित किशुन सिंह उर्फ श्रीकृष्ण सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह, राकेश सिंह पुत्र किशुन सिंह उर्फ श्रीकृष्ण सिंह, उमेश कुमार सिंह , अभय प्रताप सिंह व अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिनारायण सिंह निवासीगण पियरिया थाना फेफना को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी–3 ने धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को दो का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । धारा 148 भादवि में अभियुक्तों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । धारा 323 भादवि सहपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । धारा 325 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । धारा 304 भादवि सपठित धारा 149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को छव माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

आंचलिक स्वर
सांध्य हिन्दी दैनिक
स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक प्रदीप कुमार शुक्ल द्वारा अपना प्रेस स्टेशन मालगोदाम रोड, बलिया से मुद्रित तथा प्रकाशित।
सम्पादक
प्रदीप कुमार शुक्ल
मो0: 9451192011
RNI. 71607/99
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बलिया न्यायालय होगा ।